पत्रांक– 1587 / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अत्यावश्यक

महत्वपूर्ण

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 1/5/15

विषय : राज्य में आए ओलावृष्टि/ चक्रवातीय तूफान/ भूकम्प से प्रभावितों को राहत वितरण के संबंध में महत्वपूर्ण अनुदेश।

महाशय,

अवगत हैं कि राज्य में ओलावृष्टि, असामयिक वर्षा एवं शीतलहर के कारण बड़े पैमाने पर फसलों की क्षति की सूचना विभिन्न जिलों द्वारा विभाग एवं सरकार को भेजी गयी। जिलों से प्राप्त फसलों के क्षति प्रतिवेदन के आलोक में कृषि विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को सूचित किया गया कि लगभग 19.00 लाख से अधिक किसानों की फसलें 33 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त हुई हैं। तद्नुसार कृषि विभाग द्वारा S.D.R.F. के नए मानदर के अनुसार राशि की गणना कर 37 जिलों के लिए 1764.00 करोड़ से अधिक राशि की मांग कृषि इनपुट अनुदान मद में की गयी। राज्य सरकार ने उक्त राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है एवं 416.00 करोड़ रुपये से अधिक की राशि इस विभाग द्वारा कृषि विभाग को उपलब्ध करा दी है एवं तद्नुसार केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए मेमोरेण्डम केन्द्र सरकार को भेजा गया है। अब कृषि विभाग ने कई जिलों से प्राप्त अतिरिक्त फसल क्षति प्रतिवेदन का आंकड़ा भेजते हुए सूचित किया है कि स्वीकृत राशि से भी अधिक राशि की आवश्यकता होगी। ओलावृष्टि/असामयिक वर्षा/ वज्रपात के कारण 20 व्यक्तियों की जानें भी गयीं।

2. ओलावृष्टि आदि से प्रभावित किसानों के लिए राहत वितरण की प्रकिया प्रारंभ ही की जा रही थी कि इसी बीच दिनांक 21 अप्रैल, 2015 की रात्रि में राज्य के कई जिले चक्रवातीय तूफान की चपेट में आ गए। चक्रवातीय तूफान के कारण 59 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, कई जिलों में गृहक्षति हुई तथा फसलों की भी क्षति हुई। खासकर पूर्णियां जिले में व्यापक क्षति की सूचना प्राप्त हुई।

3. इसी बीच दिनांक 25 एवं 26 अप्रैल, 2015 को नेपाल में आए भूकम्प का असर राज्य के सभी जिलों में पड़ा तथा अबतक 58 व्यक्तियों की मृत्यु एवं कई जिलों से गृहक्षति की सूचना प्राप्त है।

4. अवगत हैं कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के बीच त्वरित राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध एवं कृत संकल्प है। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के मद्देनजर विभिन्न जिलों को इस विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश निर्गत किये गये एवं आवंटन भी भेजा गया। निर्देश दिया गया कि जिन लोगों की मृत्यु इन आपदाओं के कारण हुई है उनके आश्रितों को तुरंत 4.00 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाए। प्रसन्नता का विषय है कि संबंधित जिलों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुदान का भुगतान कर दिया गया। जिलों को यह भी निदेशित किया गया कि चक्रवातीय तूफान के कारण गृहक्षति/फसल क्षति का आकलन कर शीघ्र प्रतिवेदन भेजें ताकि केन्द्र सरकार को मेमोरेण्डम

भेजा जा सके। साथ ही निदेशित किया गया कि जिनके कच्चे–पक्के मकान पूर्णतया नष्ट या अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गये हों अथवा जिनकी झोपड़ियॉ क्षतिग्रस्त हो गयी हों, वैसे परिवारों को मुफ्त साहाय्य तथा कपड़ा एवं बर्तन के लिए अनुदान राशि का वितरण किया जाए। तद्नुसार जिलों की अधियाचना पर राशि का आवंटन किया गया एवं किया जा रहा है। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के बीच कृषि इनपुट अनुदान वितरण हेतु कृषि विभाग को आवंटित 416.00 करोड़ रुपये की राशि का भी उपावंटन उक्त विभाग द्वारा विभिन्न जिलों को किया गया है।

5. भूकम्प से जिनके कच्चे–पक्के मकान पूर्णतया नष्ट या अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गए हों अथवा जिनकी झोपडियॉ क्षतिग्रस्त हो गयी हों, वैसे परिवारों को भी मुफ्त साहाय्य तथा कपड़ा/बर्तन के लिए अनुदान राशि के वितरण का भी निदेश भेजा गया है।

6. यह आशा की जाती है कि उपरोक्तानुसार सभी प्रकार की आपदा से प्रभावितों की सूची पूर्ण पारदर्शिता के साथ जिलास्तर पर जिला के वरीय पदाधिकारियों की देखरेख में तैयार की गई होगी एवं उक्त सूची के अनुसार ही निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की देखरेख में पंचायत स्तरीय कैम्पों के माध्यम से साहाय्य मद में राशि का भुगतान किया जा रहा होगा। अवगत हैं कि मुफ्त साहाय्य मद में 1.00 क्वीं0 अनाज, 2,000/– रु0 नकद अनुदान, 1,800/– रु0 कपड़ा एवं 2,000/– रु0 बर्तन के मद में दिया जाना है। फसल क्षति एवं गृहक्षति के लिए देय अनुदान की दरें विभागीय बेवसाइट पर देखी जा सकती हैं।

7. परन्तु कतिपय स्रोतों से यह सूचनाएं भी प्राप्त हो रही हैं कि कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा जनता को बरगलाकर आपदा प्रभावित नहीं होने पर भी आपदा प्रभावितों की सूची में उनका नाम जुड़वाने का प्रयास किया गया है। यह भी सूचना प्राप्त हो रही है कि कतिपय सरकारी कर्मियों की संलिप्तता भी इस कार्य में है। साथ ही, कृषि विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग को ओलावृष्टि से फसल क्षति के संबंध में किसानों का जो विवरण एवं संख्या प्रतिवेदित की गई है, उसके अनुसार पूर्ण सूची कतिपय जिलों में संधारित नहीं है। गृह क्षति के संबंध में सूचना प्राप्त हो रही है कि बिना जॉच पड़ताल के कतिपय जिलों में सूची तैयार कर ली गयी है एवं उसी के अनुसार मुफ्त साहाय्य का वितरण हो रहा है। फलतः कई जगह विधि–व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। उदाहरण के लिए पूर्णिया जिले में 41,000 मकानों के चक्रवातीय तूफान से क्षतिग्रस्त होने की जानकारी उच्च स्तरीय बैठकों के माध्यम से दी गयी थी, परन्तु अब वहां क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या काफी ज्यादा बतायी जा रही है।

8. अतएव राहत वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने एवं प्रभावितों तक सही ढंग से राहत पहुँचाने हेतु निम्न निदेश दिए जाते हैं :

(i) सभी जिला पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी/वरीय उप समाहर्त्ता/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/ अपर जिला दण्डाधिकारी स्तर के पदाधिकारियों के माध्यम से क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा तैयार सूची की रैण्डम जांच करा लें ताकि ऐसा नहीं हो कि जो लोग वास्तव में आपदा से प्रभावित हुए हैं, उनमें से किसी का नाम छूट जाए एवं गैर प्रभावितों का नाम सूची में जुड़ जाए। यह प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी कि वे सघन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कर इसे सुनिश्चित करें।

(ii) गृह क्षति के आंकड़ों की शुद्धता के लिए आवश्यक है कि जो भी गृह क्षति हुई है उसकी फोटोग्राफी कराकर रिकॉर्ड में संधारित किया जाए एवं गृह क्षति का प्रतिवेदन

विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शीघ्र भेजा जाए। ज्ञातव्य हो कि पूर्णतया नष्ट एवं अत्यधिक क्षतिग्रस्त कच्चे–पक्के घरों तथा क्षतिग्रस्त झोपड़ियों के लिए ही मुफ्त साहाय्य का वितरण किया जाना है। साथ ही सभी क्षतिग्रस्त घरों के लिए S.D.R.F. के मानदर के अनुसार गृहक्षति का भुगतान किया जाना है। फोटोग्राफी पर होनेवाला व्यय बाढ़ प्रवण जिलों में आबादी निष्क्रमण मद तथा आकस्मिक मद में दी गयी राशि से विकलनीय होगा तथा शेष जिलों में आवश्यकतानुसार विभाग से राशि आवंटित की जाएगी।

(iii) जैसा कि पूर्व में निदेशित है, ओलावृष्टि आदि से जिन किसानों की फसल क्षति हुई है, उनकी सूची जिलों के बेवसाइट पर प्रदर्शित करनी है। उसी प्रकार से गृहक्षति की भी फोटोयुक्त सूची जिलों के बेवसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) राहत वितरण पंचायत स्तरीय निगरानी समिति–सह–अनुश्रवण समिति के समक्ष कैम्पों में किया जाना है। किन्तु फसल क्षति/गृहक्षति/अन्य लाभुकों की सूची का अनुमोदन उक्त अथवा किसी अन्य समिति द्वारा नहीं किया जाना है। यदि बेवसाइट पर प्रदर्शित सूची के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त हो तो आपत्तियों की जॉच वरीय पदाधिकारियों की टीम से कराकर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

(v) जो भी राशि वितरित की जा रही है, उसका रेकॉर्ड सही ढंग से संधारित किया जाएगा एवं व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को बिना देर किए भेजा जाएगा।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–1587/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 1/5/15

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/कृषि उत्पादन आयुक्त/ प्रधान सचिव, कृषि विभाग/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/सभी जिलों के प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव/मा0 मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव